राष्ट्रीय आवास बैंक

शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट/ स्पष्टीकरण –2

रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी-ओ365 / आउट4496 /2020 – माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड सेवा एवं समर्थन की खरीद तथा कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) हेतु अनुरोध

1. **शुद्धिपत्र**

बोलियों के जमा करने की अंतिम तिथि 14.09.2020 तक बढ़ा दी गई है

2. **स्पष्टीकरण**

पृष्ठ सं.	खंड सं.	खंड/ पाठ	मांगा गया स्पष्टीकरण	रा.आ.बैंक की प्रतिक्रिया
40	8.2 न्यूनतम पात्रता मानदंड	बोलीदाताओं के पास भारत में एनओसी सेवाएं होनी चाहिए	कृपया शीर्षांकित आरएफपी हेतु एनओसी सेवा एवं इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करें	भारत में एनओसी सेवाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है: बोलीदाता के पास आवश्यकतानुसार कार्यान्वित समाधान कार्य के लिए तत्काल सेवा हेतु रिमोर्ट सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत प्रबंधित सहायता संचालन केंद्र होना चाहिए। आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाताओं को अपने एनओसी / सहायता केंद्रों के माध्यम से बैंक के नेटवर्क / उपकरणों की निगरानी करना न तो अपेक्षित है और न ही अनुमति है।

3. **परिशिष्ट**

निम्नलिखित शर्तों / खंडों को आरएफपी में शामिल माना जाये	
1	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

	यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
2.	**परिभाषाएं:** इस खंड के प्रयोजन हेतु: i. "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है। ii. इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: - क. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या ख. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या ग. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या घ. संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या ङ. संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या च. साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या छ. सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है। iii. उपर्युक्त (ii) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा। 1. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है। क. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

	ख. "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा; 2. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है; 3. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी है; 4. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (1) या (2) या (3) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है; 5. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी। iv. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।
3	**बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर निम्नलिखित वचनपत्र / प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है:** मैंने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा है; मैं घोषित करता हूँ कि << फर्म का नाम >> ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत की गयी है। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार करने करने हेतु पात्र है। [सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य पंजीकरण के साक्ष्य संलग्न किए जाने चाहिए]” यह नोट किया जाना चाहिए कि यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।
4	सफल बोलीदाता को देश के किसी भी ठेकेदार को उप-अनुबंध कार्यों (यदि कोई हो) की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो तब भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है जब ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं।